

## आदेश

पुलिस हस्तक नियम-778 (iii) में निहित प्रावधान के आलोक में सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर आचार्य कोटि के पदाधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में केन्द्रिय स्थापना समिति की दिनांक-03.06.2021 को आहूत बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी अनुशंसा के आलोक में पुलिस आदेश सं0-315/2020 के अध्यक्षीय निम्न पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने संख्या 8 में अंकित जिला बल में तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र0	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	याचित स्थान	स्थानान्तरित जिला/इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा0अ0नि0 (परिवहन)	श्री जगन महतो	मोतिहारी	15.03.63	सिवान	मोतिहारी	मोतिहारी
2	प्रा0अ0नि0 (परिवहन)	श्री राम लक्षण सिंह	पटना	25.12.62	भोजपुर (आरा)	पटना/ एच0क्यू0आर0टी0 /वितन्तु/विशेष शाखा	पटना

2. उक्त स्थानान्तरण सेवानिवृत्ति की निकटता एवं संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समर्पित विकल्प के आधार पर किया गया है। संबंधित कार्यालय प्रधान स्थानान्तरित पुलिस पदाधिकारियों को विरमित/जिलादेश निर्गत करने से पूर्व इनके सेवाभिलेख की जाँच करेंगे। इन पुलिस पदाधिकारियों के सेवाभिलेख में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है, तो एतद् संबंधी सूचना से पुलिस मुख्यालय को अविलम्ब अवगत करायेंगे।

3. उपर्युक्त दिशा-निर्देश के आलोक में दोनों पुलिस पदाधिकारियों को अविलम्ब विरमित करना सुनिश्चित किया जाय एवं तदनुसार अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

4. उक्त स्थानान्तरण इन पुलिस पदाधिकारियों के अनुरोध अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः इन्हें यात्रा/स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक/पी0-04/01-03-2021/...112.....

बिहार पुलिस मुख्यालय  
(कार्मिक कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक.15.06.2021

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, सिवान/भोजपुर एवं मोतिहारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(कल्याण),  
बिहार, पटना।